2015/00144

42

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सैपऊ)

पीठासीन अधिकारी –विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या–95/2015

श्यामा पुत्रश्री गुरूदयाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम बरा का पुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

––––––––––वादी

बनाम

1–पूरनसिंह 2–कम्मोद पिसरान स्व0 ब्रानसिंह
3–कन्हैयालाल पुत्रश्री नेकराम जाति कुशवाह नाबालिग सरपरस्ती पिता नेकराम पुत्रश्री करनसिंह
4–रामस्नेही पत्नी श्री जगदीशप्रसाद 5–अंगूरी पत्नी कमलसिंह 6–मुस0 रामा पुत्री कमलसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम बरा का पुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
7–मुस0 मिथलेश पुत्री कमलसिंह पत्नी श्री निरंजनसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम कांसपुरा सब तहसील कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर
8–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ

––––––– प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एंव
स्थाई निशेधाज्ञा

उपस्थिति–
1–श्री श्यामा– वादी
2–श्री पूरनसिंह वगैरा – प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :~~29.5.2017~~ 11.07.2017

वादी की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण विवादित आराजी खसरा 1213 रकवा 2 बीघा स्थित ग्राम बरा का पुरा तहसील सैपऊ का वास्ते बटवारा काश्त न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 29.5.2017 को दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटंवारा किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार सैपऊ को आदेशानुसार कार्यवाही कर अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा कैम्प के दौरान ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारों को सुना तथा तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारों द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की । तहसीलदार सैपऊ द्वारा

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट

मुताबिक आदेश विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये किये जाना प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम बरा का पुरा तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है ।

1— कन्हैयालाल (नावालिग) पुत्रश्री नेकराम जाति कुशवाह निवासी बरा का पुरा तहसील सैपऊ सरपरस्त पिमा नेकराम

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1213/1	0.10
कुल	01	0.10

2—रामसनेही पत्नी जगदीशप्रसाद हिस्सा 1/3, ग्रामा पुत्रश्री गुरूदयाल हिस्सा 1/3 एवं पूरन, कम्मोद पुत्रश्री ब्रानसिंह हिस्सा 2/9 व अंगूरी पत्नी स्व0 कमलसिंह हिस्सा 2/27, मिथलेश, रामा पुत्रीयान कमलसिंह हिस्सा 1/27 जाति काछी निवीस बरा का पुरा तहसील सैपऊ

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1213/2	1.10
कुल	01	1.10

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक—पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें। लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.7.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीना)
उप खण्डाधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....

अटल सेवा केन्द्र सहसौली

कार्यालय कोपाधिकारी
OCT 2017
धौलपुर (राजस्थान)

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
प्रकरण संख्या–95 / 2015

श्यामा पुत्रश्री गुरूदयाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम बरा का पुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

——————वादी

बनाम

1–पूरनसिंह 2–कम्मोद पिसरान स्व0 ब्रोनसिंह
3–कन्हैयालाल पुत्रश्री नेकराम जाति कुशवाह नावालिग सरपरस्ती पिता नेकराम पुत्रश्री करनसिंह
4–रामस्नेही पत्नी श्री जगदीशप्रसाद 5–अंगूरी पत्नी कमलसिंह 6–मुस0 रामा पुत्री कमलसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम बरा का पुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
7–मुस0 मिथलेश पुत्री कमलसिंह पत्नी श्री निरंजनसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम कांसपुरा सव तहसील कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर
8–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ

———— प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त
एंव स्थाई निशेघाज्ञा

उपस्थिति–
1–श्री श्यामा– वादी

उपखण्ड अधिकारी

2–श्री पूरनसिंह वगैरा – प्रतिवादीगण

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ विनोद कुमार मीना (आर0ए0एस0) व हाजिरी मिनजानिव मुद्दई श्री श्यामा एवं मिनजानिव मुद्दायलह श्री पूरनसिह वगैरा पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम बरा का पुरा तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है ।

1– कन्हैयालाल (नावालिग) पुत्रश्री नेकराम जाति कुशवाह निवासी बरा का पुरा तहसील सैपऊ सरपरस्त पिमा नेकराम

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1213/1	0.10
कुल	01	0.10

2–रामसनेही पत्नी जगदीशप्रसाद हिस्सा 1/3, श्यामा पुत्रश्री गुरूदयाल हिस्सा 1/3 एवं पूरन, कम्मोद पुत्रश्री ब्राानसिंह हिस्सा 2/9 व अंगूरी पत्नी स्व0 कमलसिंह हिस्सा 2/27, मिथलेश, रामा पुत्रीयान कमलसिंह हिस्सा 1/27 जाति काछी निवीस बरा का पुरा तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1213/2	1.10
कुल	01	1.10

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से दिनांक 11.7.2017 को जारी की गई ।

डिक्री जारी करने का दिनांकः 11.12.2017

[redacted]
उप खण्डाधिकारी [redacted]
सैपऊ